



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 4

PART II—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 09]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 5, 2017/वैशाख 15, 1939

No. 09]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 5, 2017/VAISAKHA 15, 1939

रक्षा मंत्रालय

(रक्षा विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 मई, 2017

का.नि.आ. 12(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सेना अफसर वेतन नियम, 2017 है।
(2) ये नियम 1 जनवरी, 2016 को प्रवृत्त हुए समझे जाएंगे।
2. **प्रयोज्यता :-**
(1) इन नियमों में या उसके अधीन अन्यथा उपबंधित के सिवाय, ये नियम सेना चिकित्सा कोर (एएमसी), सेना दंत चिकित्सा कोर (एडीसी), रिमाउंट और पशु चिकित्सा कोर (आरवीसी), विशेष सूची (एसएल), रेजीमेंटल कमीशन्ड अफसरों (आरसीओ), विशेष कमीशन्ड अफसरों (एससीओ), प्रादेशिक सेना (टीए) जब अंगीभूत हो और सेना डाक सेवा (एडीएस) के अफसरों सहित सेना के अफसरों पर ; तथा जेंटलमैन या महिला कैडेट और जूनियर कमीशन प्राप्त अफसरों/अन्य रैंकों, जो 01 जनवरी, 2016 को कमीशन पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे थे, तथा उन प्रशिक्षणार्थी अफसरों जो उस तारीख के बाद सेवा में शामिल हुए हैं, को लागू होंगे:
परंतु ये नियम राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी), नियमित रिजर्व, सैन्य नर्सिंग सेवा (एमएनएस) के अफसरों तथा पुनर्नियोजित अफसरों को लागू नहीं होंगे।
3. **परिभाषाएं -** इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो -
(क) **“विद्यमान मूल वेतन”** से, विहित विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में आहरित वेतन अभिप्रेत है परंतु उसमें विशेष वेतन, सैन्य सेवा वेतन आदि जैसे अन्य प्रकार के वेतन शामिल नहीं हैं ;

(ख) किसी अफसर के संबंध में “**विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन**” से इन नियमों की अधिसूचना से ठीक पहले की तारीख को अफसर द्वारा वास्तविक हैसियत में धारित रैंक पर लागू वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अभिप्रेत है ;

(ग) किसी अफसर के संबंध में “**विद्यमान वेतनमान**” से, इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से ठीक पहले सारवान क्षमता में अफसर द्वारा उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड, उच्चतर प्रशासनिक ग्रेड + , शीर्षस्थ वेतनमान तथा सेनाध्यक्ष को लागू वेतनमान में धारित रैंक के लिए लागू वेतनमान अभिप्रेत है ;

स्पष्टीकरण.- इस खंड के प्रयोजनों के लिए, कोई अफसर जो भारतीय सेना से 01 जनवरी, 2016 को भारतीय सेना से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा बाह्य सेवा में था, या यदि वह उच्चतर पद में स्थानापन्न आधार पर काम न कर रहा होता तो वह उस तारीख को एक अथवा एकाधिक निचले पदों पर स्थानापन्न हैसियत में रहा होता, के मामले में “विद्यमान मूल वेतन”, “विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन” और “विद्यमान वेतन” शब्दों से यथास्थिति उस रैंक जो भारतीय सेना से बाहर प्रतिनियुक्ति पर अथवा छुट्टी पर अथवा बाह्य सेवा में अथवा उच्चतर पद पर स्थानापन्न हैसियत से काम न कर रहे होने की दशा में उसने धारित किया होता, पर लागू मूल वेतन, वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान अभिप्रेत होगा ;

(घ) अफसर के संबंध में “**विद्यमान वेतन संरचना**” से, इन नियमों के प्रवृत्त होने से ठीक पहले की तारीख को सारवान क्षमता में उसके द्वारा धारित रैंक के लिए लागू छठे केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान से अभिप्रेत है ;

(ङ.) किसी अफसर के संबंध में **विद्यमान सैन्य सेवा वेतन** से इन नियमों के प्रवृत्त होने से ठीक पहले की तारीख को उसके द्वारा धारित रैंक के लिए लागू सैन्य सेवा वेतन की रकम अभिप्रेत है ;

(च) “**विद्यमान परिलब्धियों**” से (i) विद्यमान मूल वेतन ; (ii) विद्यमान सैन्य सेवा वेतन और (iii) 01 जनवरी, 2016 को सूचकांक औसत में विद्यमान मंहगाई भत्ते को जोड़ने से प्राप्त राशि अभिप्रेत है ;

(छ) “**वेतन मैट्रिक्स**” से अनुसूची के भाग-क में विनिर्दिष्ट मैट्रिक्स अभिप्रेत है जिसमें वेतन के लेवल तदनुसूची वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए यथा-समानुदेशित लम्बवत् कोष्ठिकाओं में दिए गए हैं;

(ज) वेतन मैट्रिक्स में “**लेवल**” से, अनुसूची के भाग-क में विनिर्दिष्ट विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए तदनुसूची लेवल अभिप्रेत है ;

(झ) “**लेवल में वेतन**” से अनुसूची के भाग-क में यथा-विनिर्दिष्ट लेवल में उपयुक्त कोष्ठिका में आहरित वेतन अभिप्रेत है ;

(ञ) अफसर के संबंध में “**सैन्य सेवा वेतन**” से वेतन मैट्रिक्स में निर्धारित लेवल में वेतन के आहरण पर स्वीकार्य उसके द्वारा धारित रैंक के लिए लागू सैन्य सेवा वेतन अभिप्रेत है;

(ट) किसी रैंक के संबंध में “**संशोधित वेतन संरचना**” से, वेतन मैट्रिक्स और उसमें विनिर्दिष्ट लेवल अभिप्रेत है जो कि उस रैंक के विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान तत्स्थानी है ;

(ठ) संशोधित वेतन संरचना में “**मूल वेतन**” से, वेतन मैट्रिक्स में विहित लेवल में आहरित वेतन अभिप्रेत है ;

(ड) “**संशोधित परिलब्धियों**” से (i) मूल वेतन ; और (ii) सैन्य सेवा वेतन का योग अभिप्रेत है ;

(ढ) “**अनुसूची**” से, इन नियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है।

4. **रैंकों के लेवल** – रैंकों के लेवल का निर्धारण उन विभिन्न लेवलों के अनुसार किया जाएगा जो कि वेतन मैट्रिक्स तथा अफसर के रैंक के लिए तदनुसूची वेतन मैट्रिक्स में लेवल अनुसूची के भाग 'ख' में यथा-विनिर्दिष्ट तदनुसूची विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के लिए नियत किए गए हों। ।

5. **वेतन का आहरण** : (1) (i) इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय अफसर उस रैंक जिस पर उसे सारवान क्षमता में नियुक्त किया गया है के लिए लागू संशोधित वेतन संरचना में लेवल में वेतन आहरित करेगा;

परंतु कोई अफसर विद्यमान वेतन संरचना में अपनी अगली अथवा किसी अनुवर्ती वेतनवृद्धि अर्जित करने की तारीख तक अथवा उसके अपना रैंक धारण करना बंद करने तक अथवा विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण करना बंद करने तक विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरण जारी रखने का विकल्प चुन सकेगा:

परंतु यह भी कि ऐसे मामलों में जहां अफसर को 01 जनवरी, 2016 तथा इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के बीच यथास्थिति प्रोन्नति अथवा उन्नयन के कारण उच्चतर ग्रेड वेतन में रखा गया हो तो वह, ऐसी प्रोन्नति अथवा उन्नयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में आने के विकल्प का चयन कर सकेगा।

स्पष्टीकरण - (i) इस खंड के प्रयोजनों के लिए इस नियम के परन्तुक के अंतर्गत, विद्यमान वेतन संरचना में बने रहने का विकल्प केवल एक विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन अथवा वेतनमान के मामले में अनुज्ञेय होगा।

(ii) उपर्युक्त विकल्प 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके बाद कमीशन प्राप्त किसी अफसर के लिए अनुज्ञेय नहीं होगा और उसे केवल संशोधित वेतन संरचना में ही वेतन अनुज्ञेय होगा।

(ii) लेफ्टिनेंट जनरलों, जो सेना कमांडरों के रूप में प्रोन्नति के लिए उपयुक्त हैं, परंतु जिन्हें अपेक्षित अवशिष्ट सेवा की कमी के कारण नज़रअंदाज कर दिया गया है, को गैर-कृत्यकारी आधार पर लेवल 17 में वेतन प्रदान किया जाएगा और यह गैर-कृत्यकारी उन्नयन लेवल 17 से संबद्ध सभी वित्तीय फायदों के लिए मान्य होगा परंतु सेना कमांडर के पद से संबद्ध दूसरे विशेषाधिकारों के लिए नहीं होगा।

2. (i) सैन्य सेवा वेतन सेना में सेवा की विशेष शर्तों से संबंधित विभिन्न अप्रत्यक्ष पहलुओं के लिए प्रतिकर है जो सेना में विग्रेडियर रैंक तक के अफसरों को प्रदान किया जाता है।

(ii) सैन्य सेवा वेतन अफसरों के लिए 15,500/-रु0 की दर से वेतन मैट्रिक्स में विनिर्दिष्ट लेवल में वेतन के आहरण पर अनुज्ञेय होगा।

(iii) सैन्य सेवा वेतन को मंहगाई भत्ता और पेंशन की गणना के उद्देश्य से वेतन के लेखे में लिया जाएगा।

6. **विकल्प का उपयोग - (1)** नियम 5 के परन्तुक के अधीन विकल्प का उपयोग इन नियमों से संलग्न प्ररूप में लिखित में इस प्रकार किया जाएगा कि वह, इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के अंदर अथवा यदि विद्यमान वेतन संरचना में कोई संशोधन इन नियमों की अधिसूचना की तारीख के पश्चात्कर्त्ती किसी आदेश से किया जाता है, तो ऐसे आदेश की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के अंदर प्रधान रक्षा लेखानियंत्रक (अफसर), पुणे पहुंच जाए:

परंतु -

(i) ऐसा अफसर जो ऐसी अधिसूचना की तारीख को अथवा ऐसे आदेश की तारीख को, यथास्थिति, छुट्टी पर अथवा प्रतिनियुक्ति पर अथवा बाह्य सेवा में अथवा सक्रिय सेवा पर देश से बाहर है, के मामले में उक्त विकल्प का उपयोग लिखित में इस प्रकार किया जाएगा कि वह, भारत में उसके द्वारा अपना पदभार ग्रहण किए जाने की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के अंदर प्रधान रक्षा लेखानियंत्रक (अफसर), पुणे पहुंच जाए; और

(ii) यदि अफसर 01 जनवरी, 2016 को निलंबनाधीन हो तो इस विकल्प का उपयोग वह अपनी ड्यूटी पर अपनी वापसी की तारीख से एक सौ अस्सी दिन के अंदर किया जाएगा यदि वह तारीख इस उप-नियम में नियत तारीख के पश्चात् की तारीख हो।

(2) अफसर द्वारा इस विकल्प की सूचना इन नियमों से संलग्न प्ररूप में, एक वचनबंध के साथ प्रधान रक्षा लेखानियंत्रक (अफसर) को दी जाएगी।

(3) यदि विकल्प से संबंधित सूचना, इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख से एक सौ अस्सी दिनों के अन्दर प्रधान रक्षा लेखानियंत्रक (अफसर) को प्राप्त नहीं होती है, तो यह माना जाएगा कि अफसर ने 01 जनवरी, 2016 से प्रवृत्त संशोधित वेतन संरचना द्वारा शासित होने के विकल्प का चयन कर लिया है।

(4) एक बार दिया गया विकल्प अंतिम विकल्प होगा।

टिप्पण - 1 ऐसे अफसर जिनकी सेवाएं 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् समाप्त कर दी गई थीं और जो संस्वीकृत पदों की समाप्ति, त्यागपत्र, बर्खास्तगी पर सेवोन्मुक्ति के कारण अथवा अनुशासनिक आधार पर सेवोन्मुक्ति के कारण नियत समय सीमा में इस विकल्प का उपयोग नहीं कर सके थे, उप-नियम (1) के अधीन विकल्प के चयन के हकदार होंगे।

टिप्पण - 2 ऐसे अफसर जिनकी 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् मृत्यु हो गई है और जो नियत समय-सीमा में इस विकल्प का उपयोग नहीं कर सके थे, के संबंध में यह माना जाएगा कि उन्होंने 01 जनवरी, 2016 से ही अथवा उनके आश्रितों के लिए सर्वाधिक लाभप्रद ऐसी बाद की तारीख से इस संशोधित वेतन

संरचना के विकल्प का चयन कर लिया है यदि संशोधित वेतन संरचना अपेक्षाकृत अधिक अनुकूल है और ऐसे मामलों में बकाया राशि के भुगतान के लिए आवश्यक कार्रवाई प्रधान रक्षा लेखानियंत्रक (अफसर) द्वारा की जाएगी।

टिप्पण - 3 ऐसे अफसर जो 01 जनवरी, 2016 को अर्जित अवकाश अथवा किसी अन्य अवकाश, जो उन्हें छुट्टी वेतन का हकदार बनाता है, पर थे, उप-नियम (i) के अधीन विकल्प चुनने के हकदार होंगे।

7. **संशोधित वेतन संरचना में वेतन का निर्धारण :** (1) कोई अफसर, जो 01 जनवरी, 2016 से ही संशोधित वेतन संरचना से शासित होने के लिए नियम 6 के अधीन विकल्प का चयन करता है या यह मान लिया गया है कि उसने विकल्प का चयन कर लिया है, का वेतन, जब तक कि किसी मामले में राष्ट्रपति, विशेष आदेश द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं देते, निम्नलिखित रीति से नियत किया जाएगा, अर्थात् :

- (i) **वेतन मैट्रिक्स** में प्रयोज्य लेवल में वेतन वह वेतन होगा जो **2.57 के गुणांक** से विद्यमान मूल वेतन को गुणा करके निकटतम रूप तक पूर्णांकित करने पर प्राप्त होगा और इस प्रकार प्राप्त राशि वेतन मैट्रिक्स के उसी लेवल में पहचानी जाएगी और यदि वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य लेवल की किसी कोष्ठिका में तदनुसूची कोई समरूप राशि है तो वही राशि वेतन होगी और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोई कोष्ठिका उपलब्ध न हो, तो वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल में उससे ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में वेतन निर्धारित किया जाएगा।
- (ii) यदि प्रयोज्य लेवल में न्यूनतम वेतन या प्रथम कोष्ठिका की राशि खण्ड (i) के अनुसार प्राप्त राशि से अधिक है तो वेतन, उस प्रयोज्य लेवल के न्यूनतम पर अथवा प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा।

दृष्टांत :

1.	विद्यमान वेतन बैंड : पीबी-3	वेतन बैंड	15600 – 39100		
2.	विद्यमान ग्रेड वेतन : 5400	ग्रेड वेतन	5400	6100	6600
3.	विद्यमान वेतन : 16880	लेवल	10	10B	11
4.	विद्यमान मूल वेतन : [(2)+(3)] : 5400 + 16880 = 22280	1	56100	61300	69400
5.	2.57 [(4) x 2.57] के फिटमेंट गुणक से गुणा करने के पश्चात् वेतन : 22280 x 2.57 = 57259.6 (57260 में पूर्णांकित)	2	57800	63100	71500
6.	ग्रेड वेतन 5400 (पीबी-3) के समनुरूप : लेवल 10	3	59500	65000	73600
7.	वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 10 में या तो 57260 के बराबर अथवा इससे उच्चतर राशि) : 57800	4	61300	67000	75800
8.	संशोधित वेतन : 57800	5	63100	69000	78100
		6	65000	71100	80400
		7	67000	73200	82800
		8	69000	75400	85300

(2) सेना चिकित्सा कोर, सेना दंत चिकित्सा कोर तथा रिमाउंट तथा पशु चिकित्सा कोर में उन चिकित्सा अफसरों के मामले में जिनके संबंध में प्रैक्टिस बंदी भत्ता (एनपीए) स्वीकार्य है, का वेतन उप-नियम 7(i) में विहित तरीके से संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित किया जाएगा, अर्थात् :-

(i) विद्यमान मूल वेतन को 2.57 के गुणांक से गुणा किया जाएगा और इस प्रकार प्राप्त राशि को 01 जनवरी, 2016 को स्वीकार्य संशोधन-पूर्व प्रैक्टिस बंदी भत्ते पर मंहगाई भत्ते के समकक्ष राशि में जोड़ा जाएगा और तत्पश्चात् इस प्रकार प्राप्त आंकड़ों को वेतन मैट्रिक्स में उच्च लेवल में अवस्थित किया जाएगा और यदि ऐसा कोई समान आंकड़ा वेतन मैट्रिक्स के प्रयोज्य

लेवल की किसी कोष्ठिका में आंकड़े के समनुरूप है, तो वह वेतन होगा और यदि प्रयोज्य लेवल में ऐसी कोष्ठिका उपलब्ध नहीं है तो वेतन का निर्धारण वेतन मैट्रिक्स के उस प्रयोज्य लेवल की ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में किया जाएगा।

(ii) खंड (i) के अधीन इस प्रकार निर्धारित वेतन में विद्यमान मूल वेतन पर स्वीकार्य पूर्व-संशोधित प्रैक्टिस-बंदी भत्ता जोड़ा जाएगा जब तक कि प्रैक्टिस बंदी भत्ते की संशोधित दरों पर आगे निर्णय न हो जाए।

दृष्टांत :

1.	विद्यमान वेतन बैंड : पीबी-4	वेतन बैंड	37400 – 67000		
2.	विद्यमान ग्रेड वेतन : 8000	ग्रेड वेतन	8000	8700	8900
3.	विद्यमान वेतन : 49500	लेवल	12क	13	13क
4.	विद्यमान मूल वेतन : [(2) + (3)] : 8000 + 49500= 57500	1	116700	125700	139600
5.	(विद्यमान मूल वेतन + 6000 रुपए की दर से एमएसपी) पर 25% एनपीए : 15875	2	120200	129500	143800
6.	125% की दर से एनपीए पर डीए : 19844	3	123800	133400	148100
7.	2.57 [(4) x 2.57] के फिटमेंट गुणक से गुणा करने के पश्चात वेतन : 57500 x 2.57 = 147775	4	127500	137400	152500
8.	क्रम संख्या 6 और 7 का योग : 167620	5	131300	141500	157100
9.	ग्रेड वेतन 8000 (पीबी-4) के समनुरूप लेवल : लेवल 12 ए	6	135200	145700	161800
10.	वेतन मैट्रिक्स में संशोधित वेतन (लेवल 12क में या तो 167619 के बराबर अथवा इससे उच्चतर राशि) : 171300	7	139300	150100	166700
11.	संशोधित वेतन + पूर्व संशोधित प्रैक्टिस बंदी भत्ता (क्र.सं. 5 + 10) : 187175	8	143500	154600	171700
		9	147800	159200	176900
		10	152200	164000	182200
		11	156800	168900	187700
		12	161500	174000	193300
		13	166300	179200	199100
		14	171300	184600	205100
		15	176400	190100	211300
		16	181700	195800	217600

(3) कोई अफसर जो 01 जनवरी, 2016 को छुट्टी पर है और वह छुट्टी वेतन का हकदार है, 01 जनवरी, 2016 से अथवा संशोधित वेतन संरचना के लिए विकल्प चयन की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार हो जाएगा।

(4) कोई अफसर जो 01 जनवरी, 2016 को अध्ययन छुट्टी पर है, वह 01 जनवरी, 2016 से विकल्प की तारीख से संशोधित वेतन संरचना में वेतन का हकदार होगा।

- (5) निलंबन के अधीन अफसर विद्यमान वेतन संरचना के आधार पर निर्वाह भत्ता प्राप्त करता रहेगा तथा संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन, लंबित अनुशासनिक कार्यवाही में दिए जाने वाले अंतिम आदेश के अधीन होगा।
- (6) यदि किसी अफसर के मामले में विद्यमान परिलब्धियां "संशोधित परिलब्धियों" से अधिक हैं तो यह अंतर व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।
- (7) जहां नियम 7 के अंतर्गत वेतन मैट्रिक्स में वेतन के निर्धारण में यदि कोई अफसर 01 जनवरी, 2016 से ठीक पहले विद्यमान वेतन संरचना में उसी सेनांग अथवा सेवा में दूसरे अफसर से अधिक वेतन प्राप्त कर रहा था और संशोधित वेतन संरचना में ऐसे कनिष्ठ के वेतन से निचली कोष्ठिका में निर्धारित हो जाता है, तो उसका वेतन संशोधित वेतन संरचना में उसी कोष्ठिका तक बढ़ा दिया जाएगा जिस कोष्ठिका में उसके कनिष्ठ का वेतन है।
- (8) यदि किसी अफसर को इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से ठीक पहले व्यक्तिगत वेतन मिल रहा है जो उसकी विद्यमान परिलब्धियों के साथ जुड़ने पर संशोधित परिलब्धियों से अधिक हो जाता है, तो ऐसा आधिक्य दर्शाने वाला अंतर उस अफसर को व्यक्तिगत वेतन के रूप में दिया जाएगा और वेतन में होने वाली भावी बढ़ोत्तरियों में उसे समाहित कर लिया जाएगा।
- (9) (i) ऐसे मामलों में जहां किसी वरिष्ठ अफसर जो 01 जनवरी, 2016 से पहले किसी उच्चतर रैंक पर प्रोन्नत किया गया था, संशोधित वेतन संरचना में अपने कनिष्ठ जिसे 01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् उच्चतर रैंक पर प्रोन्नत किया जाता है, से कम वेतन आहरित करता है तो वरिष्ठ अफसर का वेतन संशोधित वेतन संरचना में बढ़ाकर उस उच्चतर रैंक पर उसके कनिष्ठ के लिए यथा-निर्धारित वेतन के बराबर कर दिया जाएगा और यह वृद्धि निम्नलिखित शर्तों को पूरा किए जाने के अध्यधीन कनिष्ठ अफसर की प्रोन्नति की तारीख से की जाएगी, अर्थात्
- (क) कनिष्ठ एवं वरिष्ठ दोनों अफसर एक ही सेनांग अथवा सेवा से संबंधित हों और जिन रैंकों पर उन्हें प्रोन्नत किया गया है, वे उसी सेनांग अथवा सेवा में हों।
- (ख) निम्नतर और उच्चतर रैंकों जिनमें वे वेतन पाने के हकदार हैं, के वेतन मैट्रिक्स में विद्यमान ग्रेड वेतन और संशोधित लेवल समरूप हों;
- (ग) प्रोन्नति के समय वरिष्ठ अफसर कनिष्ठ अफसर के वेतन के बराबर या उससे अधिक वेतन प्राप्त कर रहा हो।
- (घ) विसंगति सीधे तौर पर इन नियमों अथवा संशोधित वेतन संरचना में ऐसी प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण को नियंत्रित करने वाले किसी अन्य नियम या आदेश के उपबंधों के विनियमन के फलस्वरूप है :
- परंतु यदि कोई कनिष्ठ अफसर उसे दी गई किसी अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण विद्यमान वेतन संरचना में वरिष्ठ अफसर से अधिक वेतन आहरित कर रहा था तो वरिष्ठ अफसर का वेतन बढ़ाने के लिए इन नियमों के उपबंध लागू नहीं किए जाएंगे।
- (ii) वरिष्ठ अफसर अपनी अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी करने के पश्चात् वेतन के पुनर्निर्धारण की तारीख से अगली वेतन वृद्धि पाने का हकदार होगा।

8. कमीशन-पूर्व जेंटलमैन अथवा महिला कैडेटों की वृत्तिका और प्रशिक्षण के दौरान जूनियर कमीशंड अफसर अथवा अन्य रैंक के वेतन का विनियमन तथा सफल कमीशनिंग होने पर वेतन का निर्धारण

- (1) (i) भारतीय सैन्य अकादमी, चेन्नई और गया स्थित अफसर प्रशिक्षण अकादमी तथा सैन्य इंजीनियरिंग कालेज में कैडेट प्रशिक्षण विंग में जेंटलमैन अथवा महिला कैडेट प्रशिक्षण की अवधि के दौरान 56,100 रुपए प्रतिमाह (लेवल 10 में आरंभिक वेतन) की नियत वृत्तिका प्राप्त करेंगे।
- (ii) सफलतापूर्वक कमीशन प्राप्त होने पर, कमीशन प्राप्त अफसर का वेतन मैट्रिक्स में वेतन लेवल 10 की प्रथम कोष्ठिका में निर्धारित किया जाएगा और प्रशिक्षण की अवधि कमीशंड सेवा के रूप में नहीं मानी जाएगी तथा कैडेटों को प्रशिक्षण की अवधि के लिए स्वीकार्य भत्तों के मद में बकाया का भुगतान किया जाएगा।
- (2) वृत्तिका के बकायों का भुगतान किया जाएगा।

स्पष्टीकरण.- इस उप-नियम के प्रयोजनों के लिए "वृत्तिका के बकाया" से निम्नलिखित के बीच अंतर अभिप्रेत है :

- (i) वृत्तिका जिसके लिए वह 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी अवधि के लिए इन नियमों के अधीन अपनी वृत्तिका के संशोधन के फलस्वरूप हकदार है ; और
- (ii) यदि उसकी वृत्तिका को इस प्रकार संशोधित नहीं किया गया होता तो उस अवधि के लिए वृत्तिका जिसके लिए वह हकदार हो गया होता (चाहे ऐसी वृत्तिका प्राप्त कर ली गई थी अथवा नहीं) ।

(3) (i) कमीशन प्राप्त करने से पूर्व प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे जूनियर कमीशन अफसर अथवा अन्य रैंकों के प्रशिक्षु अफसर प्रशिक्षण अवधि के दौरान प्रशिक्षण के आरंभ होने के समय धारित रैंक के लिए लागू वेतन और भत्ते प्राप्त करते रहेंगे।

(ii) सफलतापूर्वक कमीशन प्राप्त करने पर वृत्तिका की राशि तथा उस पर मंहगाई भत्ते को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान प्राप्त वेतन एवं भत्तों से घटा कर प्राप्त अंतर एकमुश्त देय होगा।

(iii) यदि अफसर 01 जनवरी, 2016 तथा इन नियमों के अधिसूचित होने की तारीख के बीच कमीशन प्राप्त करता है, जहां विद्यमान परिलब्धियां संशोधित वेतन संरचना में निर्धारित वेतन और उस पर लागू मंहगाई भत्ते की राशि से अधिक हों तो अंतर का भुगतान वैयक्तिक वेतन के रूप में किया जाएगा, जिसे वेतन की भावी वृद्धियों में समाहित किया जाएगा ।

(4). सेना चिकित्सा कोर, सेना दंत चिकित्सा कोर तथा रिमाउंट और पशु चिकित्सा कोर में लेफ्टिनेंट के रूप में सेना में कमीशनप्राप्त अफसरों को लेवल 10 की कोष्ठिका 2 अर्थात् 57800/-रुपए में निर्धारित किया जाएगा । सेना में कैप्टन के रूप में सेना चिकित्सा कोर, सेना दंत चिकित्सा कोर तथा रिमाउंट और पशु चिकित्सा कोर में कमीशनप्राप्त अफसरों को लेवल 10ख में कोष्ठिका 1 अर्थात् 61300/-रुपए में निर्धारित किया जाएगा ।

9. **वेतन मैट्रिक्स में वेतनवृद्धियों का विनियमन.-** वेतन वृद्धि, वेतन मैट्रिक्स में प्रयोज्य लेवल की लम्बवत कोष्ठिका में यथा-विनिर्दिष्ट रूप में दी जाएगी।

दृष्टांत :

लेवल 10ख में 71,100 रुपए मूल वेतन प्राप्त कर रहा एक कैप्टन उसी लेवल में लंबवत नीचे की ओर कोष्ठिकाओं में चलेगा और वेतन वृद्धि दिए जाने के पश्चात उसका मूल वेतन 73200/- रुपए हो जाएगा ।	वेतन बैंड	15600 – 39100		
	ग्रेड वेतन	5400	6100	6600
	लेवल	10	10B	11
	1	56100	61300	69400
	2	57800	63100	71500
	3	59500	65000	73600
	4	61300	67000	75800
	5	63100	69000	78100
	6	65000	71100	80400
			↓	
7	67000	73200	82800	
8	69000	75400	85300	

10. **संशोधित वेतन संरचना में वेतनवृद्धि की तारीख -**

- (1) 01 जुलाई की विद्यमान तारीख के स्थान पर वेतन वृद्धि की दो तारीखें होंगी अर्थात् प्रत्येक वर्ष की 01 जनवरी और 01 जुलाई, किंतु कोई अफसर अपनी नियुक्ति, प्रोन्नति या वित्तीय उन्नयन की तारीख के आधार पर या तो 01 जनवरी या 01 जुलाई को केवल एक वार्षिक वेतनवृद्धि प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (2) 02 जनवरी और 01 जुलाई के बीच (दोनों सम्मिलित) की अवधि में नियुक्त या प्रोन्नत या वित्तीय रूप से प्रोन्नत अफसर के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जनवरी को दी जाएगी और ऐसे अफसर जिसे 02 जुलाई और 01 जनवरी के बीच

(दोनों सम्मिलित) की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, के संबंध में वेतनवृद्धि 01 जुलाई को दी जाएगी।

दृष्टांत :

- (क) 02 जुलाई, 2016 और 1 जनवरी, 2017 की अवधि के दौरान सामान्य क्रम में प्रोन्नत अफसर के मामले में पहली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी:
- (ख) ऐसे अफसर जिन्हें 02 जनवरी, 2016 और 01 जुलाई, 2016 के बीच की अवधि में नियुक्ति या प्रोन्नति या वित्तीय उन्नयन दिया गया हो, जिन्होंने 01 जुलाई 2016 को वार्षिक वेतनवृद्धि आहरित नहीं की, के मामले में, अगली वार्षिक वेतनवृद्धि 01 जनवरी, 2017 को देय होगी और इसके बाद से यह वेतनवृद्धि एक वर्ष के बाद वार्षिक आधार पर देय होगी।

परंतु ऐसे अफसर के मामले में, संशोधित वेतन संरचना में जिनका वेतन 01 जनवरी के अनुसार निर्धारित कर दिया गया है, उस लेवल में जिसमें उनका वेतन 01 जनवरी, 2016 को इस प्रकार निर्धारित किया गया था, उन्हें अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2016 को प्राप्य होगी:

परंतु यह भी कि 01 जुलाई, 2016 को वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पश्चात् अगली वेतनवृद्धि 01 जुलाई, 2017 को प्राप्य होगी।

11. **01 जनवरी, 2016 के पश्चात् तारीख से वेतन का संशोधन.**- यदि कोई अफसर विद्यमान वेतन संरचना में अपना वेतन आहरित करना जारी रखता है और उसे 01 जनवरी, 2016 के पश्चात् की किसी तारीख से संशोधित वेतन संरचना में लाया जाता है, तो संशोधित वेतन संरचना में उसका वेतन नियम 7 के अनुसार विहित रीति से नियत किया जाएगा।

12. **01 जनवरी, 2016 को अथवा उसके पश्चात् प्रोन्नति अथवा उन्नयन पर वेतन का निर्धारण.** - संशोधित वेतन संरचना में एक लेवल से दूसरे लेवल में प्रोन्नति के मामले में, वेतन निर्धारण निम्नलिखित रीति से किया जाएगा, अर्थात् :

- (i) एक वेतनवृद्धि उस लेवल में दी जाएगी जिसमें से अफसर प्रोन्नत अथवा उन्नयित किया जा रहा है और उसे उस पद जिसमें प्रोन्नति दी गई है, के लेवल में इस प्रकार प्राप्त राशि के समतुल्य किसी कोष्ठिका में रखा जाएगा और यदि ऐसी कोई कोष्ठिका उस लेवल जिसमें प्रोन्नति दी गई है, में उपलब्ध नहीं है तो उसे उस लेवल से अगली उच्चतर कोष्ठिका में रखा जाएगा।

उदाहरण:

1.	संशोधित वेतन संरचना में लेवल : लेवल 10ख	वेतन बैंड	15600 – 39100		
2.	संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन: 67000	ग्रेड वेतन	5400	6100	6600
3.	प्रोन्नति दी गई अथवा उन्नयन किया गया : लेवल 11	लेवल	10	10B	11
		1	56100	61300	69400
		2	57800	63100	71500
4.	लेवल 10ख में एक वेतनवृद्धि दिए जाने के पश्चात् वेतन : 69000	3	59500	65000	73600
		4	61300	67000	75800
		5	63100	69000	78100
5.	उन्नत लेवल अर्थात् लेवल 11 में वेतन (लेवल 10ख में 69000 के बराबर या उससे उच्चतर राशि) : 69400	6	65000	71100	80400
		7	67000	73200	82800
		8	69000	75400	85300
		9	71100	77700	87900

- (ii) प्रेक्टिस बंदी भत्ता प्राप्त कर रहे अफसरों के मामले में, उनका मूल वेतन और उक्त प्रेक्टिस बंदी भत्ता का योग लेवल 17 और 18 के लिए लागू संशोधित वेतन मान के मूल वेतन के औसत अर्थात् 237500/- रुपए से अधिक नहीं होगा।

- (iii) किसी अफसर की लेवल 13ए से लेवल 14 में प्रोन्नति होने के मामले में, उक्त प्रोन्नति हेतु वेतन वृद्धि की गणना ऐसी प्रोन्नति से ठीक पूर्व लेवल 13ए में आहरित किए जा रहे वेतन के आधार पर की जाएगी और लेवल 13ए में वेतन, प्रोन्नति के लिए वेतन वृद्धि की धनराशि और सैन्य सेवा वेतन के योग से लेवल 14 में वेतन का निर्धारण किया जाएगा तथा इस प्रकार के योग से प्राप्त संख्या को अगले उच्चतर लेवल 14 में देखा जाएगा और यदि ऐसी कोई संख्या लेवल 14 में किसी कोष्ठिका में होती है तो वही संख्या संशोधित वेतन संरचना में वेतन होगी और यदि लेवल 14 में वही संख्या उपलब्ध नहीं है तो वेतन मैट्रिक्स में वेतन, वेतन मैट्रिक्स के लेवल 14 के ठीक अगली उच्चतर कोष्ठिका में नियत किया जाएगी।

दृष्टांत :

1.	संशोधित वेतन संरचना में लेवल : लेवल 13क	लेवल	13	13क	14
2.	संशोधित वेतन संरचना में मूल वेतन : 171700	1	125700	139600	144200
3.	मेजर जनरल के रैंक पर प्रोन्नत किया गया : लेवल 14	2	129500	143800	148500
4.	प्रोन्नति वेतनवृद्धि के पश्चात लेवल 13क में वेतन : 176900	3	133400	148100	153000
5.	एमएसपी : 15500	4	137400	152500	157600
6.	क्रम सं. 4 और 5 जोड़ने पर : 192400	5	141500	157100	162300
7.	लेवल 14 में निर्धारित वेतन : 193800	6	145700	161800	167200
		7	150100	166700	172200
		8	154600	171700	177400
		9	159200	176900	182700
		10	164000	182200	188200
		11	168900	187700	193800
		12	174000	193300	199600

13. 01 जनवरी, 2016 अथवा उसके पश्चात वेतन के लिए पूर्व की तारीख में कमीशन प्राप्त करने वाले अफसरों का वेतन.- 01 जनवरी, 2016 अथवा उसके पश्चात वेतन के लिए पूर्व की तारीख में कमीशन प्राप्त करने वाले अफसरों का वेतन यथा लागू संगत संशोधित लेवल अथवा संशोधन पूर्व वेतन मान में ऐसे पूर्व दिनांकन की तारीख से सैद्धांतिक आधार पर नियत किया जाएगा और ऐसे पूर्व दिनांकन की अवधि के लिए लागू दरों पर वेतन वृद्धि (यों) को जोड़ने के पश्चात कमीशन की तारीख को वेतन निर्धारित किया जाएगा।

14. वेतन की बकाया राशि के भुगतान की विधि – (1) भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय के तारीख 10/10/2016 के पत्र सं. 1(11)2016/रक्षा(वेतन/सेवाएं) के अनुसार संशोधित वेतन के संदर्भ में रक्षा सेना अफसर भविष्य निधि की वर्धित दर पर अंशदान की कटौती के बाद आकलित बकाया का भुगतान दिए गए तदर्थ बकाया की कटौती के बाद किया जाएगा

स्पष्टीकरण.- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, किसी अफसर के संबंध में "वेतन की बकाया राशि" से निम्नलिखित के बीच का अंतर अभिप्रेत है :

- (i) वेतन, मंहगाई भत्ते तथा सैन्य सेवा वेतन, जिसका हकदार वह इन नियमों के अधीन अपने वेतन के संशोधन के कारण वह 01 जनवरी, 2016 से प्रभावी अवधि के लिए है, का जोड़; और

- (ii) वेतन, मंहगाई भत्ते तथा सैन्य सेवा वेतन, जिसका हकदार वह उस अवधि के लिए रहा होता (चाहे ऐसा वेतन और मंहगाई भत्ता प्राप्त किया हो अथवा नहीं) यदि उसका वेतन और भत्ता इस प्रकार संशोधित न किया गया होता, का जोड़।

15. **नियमों का अध्यारोही प्रभाव.** – वेतन तथा भत्ते विनियम (अफसर), सेना 1954 के उपबंध तथा मौजूदा अनुदेश और विनियम, इन नियमों में अन्यथा उपबंधित के सिवाय उन मामलों को उस सीमा तक जहां तक वह इन नियमों के असंगत है, लागू नहीं होंगे और इन नियमों द्वारा एसएआई 2/एस/2008 के सिवाय उन बातों के जो ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई है या जिनका लोप किया गया है, अधिक्रांत किया जाता है।

16. **शिथिल करने की शक्ति.** – जहां राष्ट्रपति का यह समाधान हो जाता है कि इन नियमों के सभी या किन्हीं उपबन्धों का प्रचालन किसी विशिष्ट मामले में असम्यक कठिनाई उत्पन्न कर सकता है, वह आदेश द्वारा उस उपबन्ध को समाप्त कर सकेगा या उस उपबंध की अपेक्षाओं को उस सीमा तक और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो वह उस मामले से न्याय संगत तथा साम्यपूर्ण रीति में निपटने के लिए उचित समझे, शिथिल कर सकेगा।

17. **निर्वचन.** – यदि इस नियम के किसी उपबंध के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उत्पन्न होता है, तो विनिश्चय के लिए इसे केन्द्र सरकार के निर्दिष्ट किया जाएगा।

अनुसूची

[नियम 3 (छ) तथा 4 देखें]

भाग-क

वेतन मैट्रिक्स

वेतन बैंड	15600 – 39100			37400 – 67000				67000-79000	75500-80000	80000	90000
	ग्रेड वेतन	5400	6100	6600	8000	8700	8900	10000	एचएजी	एचएजी*	शीर्षस्थ
लेवल	10	10ख	11	12क	13	13A	14	15	16	17	18
1	56100	61300	69400	116700	125700	139600	144200	182200	205400	225000	250000
2	57800	63100	71500	120200	129500	143800	148500	187700	211600		
3	59500	65000	73600	123800	133400	148100	153000	193300	217900		
4	61300	67000	75800	127500	137400	152500	157600	199100	224400		
5	63100	69000	78100	131300	141500	157100	162300	205100			
6	65000	71100	80400	135200	145700	161800	167200	211300			
7	67000	73200	82800	139300	150100	166700	172200	217600			
8	69000	75400	85300	143500	154600	171700	177400	224100			
9	71100	77700	87900	147800	159200	176900	182700				
10	73200	80000	90500	152200	164000	182200	188200				
11	75400	82400	93200	156800	168900	187700	193800				
12	77700	84900	96000	161500	174000	193300	199600				
13	80000	87400	98900	166300	179200	199100	205600				
14	82400	90000	101900	171300	184600	205100	211800				
15	84900	92700	105000	176400	190100	211300	218200				
16	87400	95500	108200	181700	195800	217600					
17	90000	98400	111400	187200	201700						
18	92700	101400	114700	192800	207800						
19	95500	104400	118100	198600	214000						
20	98400	107500	121600	204600							

21	101400	110700	125200	210700
22	104400	114000	129000	
23	107500	117400	132900	
24	110700	120900	136900	

भाग-ख

सेना में अफसरों के रैंकों का लेवल :

क्र.सं.	रैंक	वेतन मैट्रिक्स में लेवल
(i)	लेफ्टिनेंट	10
(ii)	कैप्टन	10ख
(iii)	मेजर	11
(iv)	लेफ्टिनेंट कर्नल	12क
(v)	कर्नल	13
(vi)	बिग्रेडियर	13क
(vii)	मेजर जनरल	14
(viii)	लेफ्टिनेंट जनरल (एचएजी)	15
(ix)	लेफ्टिनेंट जनरल (एचएजी+)	16
(x)	उप सेनाध्यक्ष तथा सेना कमांडर	17
(xi)	सेनाध्यक्ष	18

विकल्प का प्ररूप

{नियम 6 (2) देखें}

*1. मैं, रैंक _____ नाम _____ सेवा सं. _____ शाखा _____ एतद्वारा 01 जनवरी, 2016 से संशोधित वेतन संरचना का चयन करता हूँ/करती हूँ।

*2. मैं, रैंक _____ नाम _____ सेवा सं. _____ शाखा _____ अपने निम्न-उल्लिखित वास्तविक रैंक के वेतन बैंड और ग्रेड वेतन में

मेरी अगली वेतनवृद्धि की तारीख तक / मेरी पश्चातवर्ती वेतनवृद्धि की तारीख तक जब मेरा वेतन बढ़कर _____ रूपए हो जाए / मेरे विद्यमान वेतन संरचना में वेतन आहरित करना छोड़ने / बंद करने तक / _____ के पद पर मेरी प्रोन्नति की तारीख तक बने रहने का चयन करता हूँ / करती हूँ:

विद्यमान वेतन बैंड और ग्रेड वेतन / विद्यमान वेतनमान _____ ।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

रैंक _____

सेवा संख्या _____

यूनिट _____

तारीख : _____

स्टेशन : _____

* जो लागू न हो, उसे काट दें।

वचनबंध

मैं, यह वचन देता हूँ कि वेतन के सही नियत न होने के कारण या पश्चातवर्ती रूप से ध्यान में आई विसंगतियों के कारण अधिक किए गए संदाय का मेरे द्वारा मुझे शोधय या अन्यथा भावी संदायों के विरुद्ध समायोजन द्वारा सरकार को प्रतिदाय किया जाएगा।

हस्ताक्षर _____

नाम _____

रैंक _____

सेवा संख्या _____

यूनिट _____

तारीख : _____

स्टेशन : _____

[फा. सं. 1(9)/2016/रक्षा(वेतन/सेवाएं)]

वी. आनन्दराजन, संयुक्त सचिव

स्पष्टीकारक ज्ञापन.- सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग को 01 जनवरी, 2016 से कार्यान्वित कर दिया गया है। उसी प्रकार, भारत संघ के रक्षा कार्मिक 01 जनवरी, 2016 से सातवें केन्द्रीय वेतन संशोधन हेतु पात्र हैं। तदनुसार, इन नियमों को 01 जनवरी, 2016 से भूतलक्षी प्रभाव से लागू किया गया है। एतद्वारा, यह प्रमाणित किया जाता है कि इन नियमों को भूतलक्षी प्रभाव से लागू किए जाने से कोई कार्मिक प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगा।

MINISTRY OF DEFENCE**(Department of Defence)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 3rd May, 2017

S.R.O. 12(E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These rules may be called Army Officers Pay Rules, 2017.

(2) They shall be deemed to have come into force on the 1st day of January, 2016.

2. Application.-

(1) Save as otherwise provided under these rules, these rules shall apply to Army Officers including those of Army Medical Corps (AMC), Army Dental Corps (ADC), Remount and Veterinary Corps (RVC), Special List (SL), Regimental Commissioned Officers (RCO), Special Commissioned Officers (SCO), Territorial Army (TA) when embodied, and Army Postal Service (APS), who were on the effective strength of the Army as on the 1st day of January, 2016, and to Gentlemen or Lady Cadets and Junior Commissioned Officers/Other Ranks who were undergoing pre-Commission training on the 1st day of January, 2016, and to those trainee Officers who join the service after that date.

Provided that these rules shall not apply to Officers of National Cadet Corps (NCC), the Regular Reserve, Military Nursing Service (MNS), and re-employed Officers.

3. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) “*existing basic pay*” means the pay drawn in the prescribed existing Pay Band and Grade Pay or pay in the existing scale, but does not include any other pay like Special Pay, Military Service Pay, etc;

(b) “*existing Pay Band and Grade Pay*” in relation to an Officer, means the Pay Band and the Grade Pay applicable to the rank held by the Officer as on the date immediately before the notification of these rules, in a substantive capacity;

(c) “*existing scale*” in relation to an Officer, means the pay scale applicable to the rank held by the Officer on the date immediately before the notification of these rules including in the Higher Administrative Grade, Higher Administrative Grade+, Apex Scale and that applicable to the Chief of Army Staff in a substantive capacity;

Explanation.- For the purpose of this clause the expressions “existing Basic Pay”, “existing Pay Band and Grade Pay” and “existing scale”, in respect of an Officer who, on the 1st day of January, 2016, was on deputation out of Indian Army or on leave or on foreign service, or who would have on that date officiated in one or more lower posts but for his officiating in the higher post, shall mean such Basic Pay, Pay Band and Grade Pay or scale in relation to the rank which he would have held but for his being on deputation out of Indian Army or on leave or on foreign service or as the case may be, but for his officiating in that post;

(d) “*existing pay structure*” in relation to an Officer, means the Pay Band and Grade Pay or the Pay Scale as per the Sixth Central Pay Commission applicable to the rank held by the Officer as on the date immediately before the coming into force of these rules, in a substantive capacity;

(e) “*existing Military Service Pay*” in relation to an Officer, means the amount of Military Service Pay applicable to the rank held by him on the date immediately before coming into force of these rules;

(f) “*existing emoluments*” mean the sum of (i) existing basic pay; (ii) existing Military Service Pay; and (iii) existing dearness allowance at the index average as on 1st day of January, 2016;

(g) “*Pay Matrix*” means the Matrix specified in Part A of the Schedule, with Levels of pay arranged in vertical Cells as assigned to corresponding Pay Band and Grade Pay or scale;

(h) “*Level*” in the Pay Matrix, means the Level corresponding to the existing Pay Band and Grade Pay or scale specified in the Part A of the Schedule;

(i) “*pay in the Level*” means the pay drawn in the appropriate Cell of the Level as specified in Part A of the Schedule;

(j) “*Military Service Pay*” in relation to an Officer means the Military Service Pay applicable to the rank held by him admissible on drawal of pay in the prescribed Level in the Pay Matrix;

(k) “*revised pay structure*” in relation to a rank means the Pay Matrix and the Levels specified therein corresponding to the existing Pay Band and Grade Pay or scale of the rank;

(l) “*basic pay*” in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix;

(m) “*revised emoluments*” means the sum of (i) basic pay; and (ii) Military Service Pay; and,

(n) “*Schedule*” means a schedule annexed to these rules.

4. Level of ranks.- The Level of ranks shall be determined in accordance with the various Levels as assigned to the corresponding existing Pay Band and Grade Pay or scale as specified in the Pay Matrix and the Level in Pay Matrix corresponding to the rank of an Officer is specified in Part B of the Schedule.

5. Drawal of pay.- (1) (i) Save as otherwise provided in these rules, an Officer shall draw pay in the Level in the revised pay structure applicable to the rank to which he is appointed in substantive capacity:

Provided that an Officer may elect to continue to draw pay in the existing pay structure, until the date on which he earns his next or any subsequent increment in the existing pay structure, or until he ceases to hold his rank or ceases to draw pay in the existing pay structure.

Provided further that in case an Officer has been placed in a higher grade pay or scale between the 1st day of January 2016 and the date of notification of these rules on account of promotion or upgradation, the Officer may elect to switch over to the revised pay structure from the date of such promotion or upgradation, as the case may be.

Explanation.- (i) For the purpose of this clause the option to retain the existing pay structure under the provisos of this rule shall be admissible only in respect of one existing Pay Band and Grade Pay or scale.

(ii) the aforesaid option shall not be admissible to any Officer commissioned on or after the 1st day of January, 2016, and he shall be allowed pay only in the revised pay structure.

(ii) Lieutenant Generals who are fit for promotion as Army Commanders, but overlooked due to lack of requisite residual service shall be granted pay in Level 17 on non-functional basis and this non-functional upgradation shall count for all the financial benefits associated with Level 17, but shall not count for other privileges associated with office of Army Commander.

(2) (i) Military Service Pay is compensation for the various intangible aspects linked to the special conditions of service in Army extended to Officers in the Army up to and including the rank of Brigadier.

(ii) Military Service Pay shall be admissible to Officers on drawal of pay in the prescribed Level in the Pay Matrix, at the rate of Rs 15,500 per month.

(iii) Military Service Pay shall be counted as pay for the purpose of computation of dearness allowance and pension.

6. **Exercise of option.-** (1) The option under the provisos to rule 5 shall be exercised in writing in the form appended to these rules so as to reach the Principal Controller of Defence Accounts (Officers), Pune within one hundred and eighty days of the date of notification of these rules, or where revision in the existing pay structure is made by any order subsequent to the date of notification of these rules, within one hundred and eighty days of the date of such order:

Provided that,-

(i) in the case of an Officer who is, on the date of such notification or, as the case may be, date of such order, out of India on leave or deputation or foreign service or active service, the said option shall be exercised in writing so as to reach the Principal Controller of Defence Accounts (Officers) within one hundred and eighty days of the date of his taking charge of his post in India; and,

(ii) where an Officer is under suspension on the 1st day of January, 2016, the option may be exercised within one hundred and eighty days of the date of his return to his duty, if that date is later than the date prescribed in this sub-rule.

(2) The option, along with an undertaking in the form appended to these rules, shall be intimated by the Officer to the Principal Controller of Defence Accounts (Officers).

(3) If the intimation regarding option is not received by the Principal Controller of Defence Accounts (Officers) within one hundred and eighty days of the date of notification of these rules, the Officer shall be deemed to have elected to be governed by the revised pay structure with effect from the 1st day of January, 2016.

(4) The option once exercised shall be final.

Note -1 Officers whose services were terminated on or after the 1st day of January, 2016 and who could not exercise the option within the prescribed time limit, on account of discharge on the expiry of the sanctioned strength, release, resignation, dismissal or discharge on disciplinary grounds, are entitled to exercise option under sub-rule (1).

Note -2 Officers who have died on or after the 1st day of January, 2016 and could not exercise the option within the prescribed time limit, are deemed to have opted for the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2016 or such later date which is beneficial to their dependents, if the revised pay structure is more favourable and in

such cases, necessary action for payment of arrears shall be taken by the Principal Controller of Defence Accounts (Officers).

Note -3. Officers who were on Annual Leave or any other leave on the 1st day of January, 2016, which entitled them to leave salary, shall be entitled to exercise option under sub-rule (1).

7. Fixation of Pay in the Revised Pay Structure.- (1) The pay of an Officer who elects, or is deemed to have elected under rule 6 to be governed by the revised pay structure on and from the 1st day of January, 2016, shall, unless in case the President by special order otherwise directs, be fixed in the following manner, namely:-

(i) the pay in the applicable Level in the Pay Matrix shall be the pay obtained by multiplying the existing basic pay by a *factor of 2.57*, rounded off to the nearest rupee, and the figure so arrived at shall be located in that level in the Pay Matrix, and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable Level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such Cell is available in the applicable Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable Level of the Pay Matrix.

(ii) if the minimum pay or the first Cell in the applicable Level is more than the amount arrived at as per clause (i) the pay shall be fixed at the minimum pay or the first Cell of that applicable Level.

Illustration:

1.	Existing Pay Band : PB-3	Pay Band	15600 - 39100		
2.	Existing Grade Pay : 5400	Grade Pay	5400	6100	6600
3.	Existing Pay : 16880	Levels	10	10B	11
4.	Existing Basic Pay : [(2)+(3)] : 5400 + 16880 = 22280	1	56100	61300	69400
5.	Pay after multiplication by a fitment factor of 2.57 [(4) x 2.57] : 22280 x 2.57 = 57259.6 (rounded off to 57260)	2	57800	63100	71500
6.	Level corresponding to Grade Pay 5400 (PB-3) : Level 10	3	59500	65000	73600
7.	Revised Pay in Pay Matrix (either equal to or next higher to 57260 in Level 10) : 57800	4	61300	67000	75800
8.	Revised Pay: 57800	5	63100	69000	78100
		6	65000	71100	80400
		7	67000	73200	82800
		8	69000	75400	85300

(2) In the case of medical Officers in the Army Medical Corps, Army Dental Corps and Remount and Veterinary Corps in respect of whom Non-Practicing Allowance is admissible, the pay in the revised pay structure shall be fixed in the following manner, namely:-

(i) the existing basic pay shall be multiplied by a factor of 2.57 and the figure so arrived at shall be added to by an amount equivalent to Dearness Allowance on the pre-revised Non-Practicing Allowance admissible as on 1st day of January, 2016 and thereafter the figure so arrived at shall be located in that Level in the Pay Matrix and if such an identical figure corresponds to any Cell in the applicable Level of the Pay Matrix, the same shall be the pay, and if no such Cell is available in the applicable Level, the pay shall be fixed at the immediate next higher Cell in that applicable Level of the Pay Matrix.

(ii) the pay so fixed under clause (i) shall be added by the pre-revised Non Practicing Allowance admissible on the existing basic pay until further decision on the revised rates of Non Practicing Allowance.

Illustration:

1.	Existing Pay Band : PB-4	Pay Band	37400 – 67000		
2.	Existing Grade Pay : 8000	Grade Pay	8000	8700	8900
3.	Existing Pay : 49500	Levels	12A	13	13A
4.	Existing Basic Pay : [(2) + (3)] : 8000 + 49500 = 57500	1	116700	125700	139600
		2	120200	129500	143800
5.	25% NPA on (Existing Basic Pay + MSP @ Rs. 6000) : 15875	3	123800	133400	148100
		4	127500	137400	152500
6.	DA on NPA @ 125% : 19844				
7.	Pay after multiplication by a fitment factor of 2.57 [(4) x 2.57] : 57500 x 2.57 = 147775	5	131300	141500	157100
		6	135200	145700	161800
8.	Sum of serial number 6 and 7 : 167620				
9.	Level corresponding to Grade Pay 8000 (PB-4) : Level 12 A	7	139300	150100	166700
		8	143500	154600	171700
		9	147800	159200	176900
		10	152200	164000	182200
		11	156800	168900	187700
10.	Revised Pay in Pay Matrix (either equal to or next higher to 167619 in Level 12A) : 171300	12	161500	174000	193300
		13	166300	179200	199100
11.	Revised Pay + pre-revised Non Practicing Allowance(Sr. No. 5 + 10) : 187175	14	171300	184600	205100
		15	176400	190100	211300
		16	181700	195800	217600

(3) An Officer who is on leave on the 1st day of January, 2016 and is entitled to leave salary shall become entitled to pay in the revised pay structure from the 1st day of January, 2016, or the date of option for the revised pay structure.

(4) An Officer who is on Study Leave on the 1st day of January, 2016 shall be entitled to the pay in the revised pay structure from the 1st day of January, 2016, or the date of option.

(5) An Officer under suspension shall continue to draw subsistence allowance based on existing pay structure, and his pay in the revised pay structure shall be subject to the final order on the pending disciplinary proceedings.

(6) Where the existing emoluments exceed the revised emoluments in the case of any Officer, the difference shall be allowed as Personal Pay to be absorbed in future increases in pay.

(7) Where in the fixation of pay in the Pay Matrix under rule 7, the pay in the Pay Matrix of an Officer, who, in the existing pay structure was drawing immediately before the 1st day of January, 2016 more pay in the Pay Band than another Officer in the same arm or service, gets fixed in the revised pay structure at a stage lower than that of such junior, his pay in the Pay Matrix shall be stepped up to the same cell in the revised pay structure as that of the junior.

(8) Where an Officer is in receipt of personal pay immediately before the date of notification of these rules, which together with his existing emoluments exceed the revised emoluments, then the difference representing such excess shall be allowed to such an Officer as personal pay, to be absorbed in future increase in pay.

(9) (i) in cases where a senior Officer promoted to a higher rank before the 1st day of January, 2016 draws less pay in the Pay Matrix in the revised pay structure than his junior who is promoted to the higher rank on or after the 1st day of January, 2016, the pay in the Pay Matrix of the senior Officer in the revised pay structure shall be stepped up to an amount equal to the pay in the Pay Matrix as fixed for his junior in that higher rank, and such stepping up shall be done with effect from the date of promotion of the junior Officer, subject to fulfilment of the following conditions, namely:-

- (a) both the junior and senior Officers belong to the same arm or service and the rank to which they have been promoted are identical in the same arm or service;
- (b) the existing grade pay and the revised Level in the Pay Matrix of the lower and higher ranks in which they are entitled to draw pay are identical;
- (c) the senior Officer at the time of promotion is drawing equal or more pay than the junior;
- (d) the anomaly is directly as a result of the application of the provisions of these rules or any other rule or order regulating pay fixation on such promotion in the revised pay structure:

Provided that if the junior Officer was drawing more pay in the existing pay structure than the senior Officer by virtue of any advance increments granted to him, the provisions of this rules shall not be invoked to step up the pay in the Pay Matrix of the senior Officer.

(ii) the senior Officer shall be entitled to the next increment on completion of his required qualifying service with effect from the date of re-fixation of pay.

8. Regulation of stipend of Gentlemen or Lady Cadets and pay of Junior Commissioned Officers or Other Ranks during pre-commissioning training, and fixation of pay on successful commissioning.-

(1) (i) Gentlemen or Lady Cadets at Indian Military Academy, Officers Training Academy at Chennai and Gaya, Cadets Training Wings at College of Military Engineering shall receive a fixed stipend of **Rs 56,100/- per month** (starting pay in Level 10) for the period of training.

(ii) On successful commissioning, the pay in the Pay Matrix of the Officer commissioned shall be fixed in first Cell of Level 10 and the period of training shall not be treated as commissioned service and arrears on account of admissible allowances, as applicable, for the training period shall be paid to cadets.

(2) The arrears of stipend shall be paid.

Explanation.- For the purpose of this sub-rule, “arrears of stipend” shall mean the difference between,-

- (i) the stipend to which he is entitled on account of the revision of his stipend under these rules for the period effective from the 1st day of January, 2016; and
- (ii) the stipend to which he would have been entitled (whether such stipend had been received or not) for that period had his stipend not been so revised.

(3) (i) A trainee from the ranks of Junior Commissioned Officers or Other Ranks undergoing pre-commission training shall, during the training period, continue to receive pay and allowance as applicable to the rank held at the time of commencement of training.

(ii) On successful commissioning, the difference between the amount of stipend plus dearness allowance thereon minus pay and allowances received during the period of training shall be payable in lump-sum.

(iii) In case an Officer is commissioned between the 1st day of January, 2016 and the date of notification of these rules, where the existing emoluments exceed the sum of the pay fixed in the revised pay structure and the applicable dearness allowance thereon, the difference shall be allowed as Personal Pay, to be absorbed in future increments in pay.

(4) Officers in Army commissioned in the Army Medical Corps, Army Dental Corps and Remount and Veterinary Corps as Lieutenants shall be fixed in Cell 2, i.e., Rs 57800, of Level 10. Officers in Army commissioned in the Army Medical Corps, Army Dental Corps and Remount and Veterinary Corps as Captains in Army shall be fixed in Cell 1, i.e., Rs 61300 of Level 10B.

9. Regulation of increments in the Pay Matrix.- The increment shall be as specified in the vertical Cells of the applicable Level in the Pay Matrix.

Illustration:

A Captain in the Basic Pay of Rs. 71,100/- in Level 10B shall move vertically down the cells in the same Level and on grant of increment, his Basic Pay shall be Rs. 73,200/-.	Pay Band	15600 – 39100		
	Grade Pay	5400	6100	6600
	Levels	10	10B	11
	1	56100	61300	69400
	2	57800	63100	71500
	3	59500	65000	73600
	4	61300	67000	75800
	5	63100	69000	78100
	6	65000	71100	80400
	7	67000	73200	82800
8	69000	75400	85300	

10. Date of increment in revised pay structure.-

(1) There shall be two dates for grant of annual increment namely, 1st January and 1st July of every year, instead of existing date of 1st July, provided that an Officer shall be entitled to only one annual increment, either on 1st January or 1st July depending on the date of his appointment or promotion or upgradation.

(2) The increment in respect of an Officer appointed or promoted or upgraded during the period between the 2nd day of January and 1st day of July (both inclusive) shall be granted on the 1st day of January and the increment in respect of an Officer appointed or promoted or upgraded during the period between the 2nd day of July and 1st day of January (both inclusive) shall be granted on 1st day of July.

Illustration:

(a) In case of an officer appointed or promoted or upgraded in the normal hierarchy during the period between the 2nd day of July, 2016 and the 1st day of January, 2017, the first increment shall accrue on the 1st day of July, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis.

(b) In case of an officer appointed or promoted or upgraded in the normal hierarchy during the period between the 2nd day of January 2016 and the 1st day of July, 2016, who did not draw any increment on 1st day of July, 2016, the next increment shall accrue on the 1st day of January, 2017 and thereafter it shall accrue after one year on annual basis:

Provided that in case of Officers whose pay in the revised pay structure has been fixed as on 1st day of January, the next increment in the Level in which the pay was so fixed as on 1st day of January, 2016 shall accrue on 1st day of July, 2016.

Provided further that the next increment after drawal of increment on 1st day of July 2016 shall accrue on the 1st day of July 2017.

11. Revision of pay from a date subsequent to the 1st day of January 2016.- Where an Officer who continues to draw his pay in the existing pay structure is brought over to the revised pay structure from a date later than the 1st day of January, 2016, his pay from the later date in the revised pay structure shall be fixed in the manner prescribed in accordance with rule 7.

12. Fixation of Pay on Promotion or Upgradation on or after 1st day of January, 2016.- The fixation of pay in case of promotion or upgradation from one Level to another in the revised pay structure shall be made in the following manner, namely:-

(i) One increment shall be given in the Level from which an Officer is promoted or upgraded and he shall be placed at a cell equal to the figure so arrived at in the Level of the rank to which promoted or upgraded, and if no such cell is available in the Level to which promoted or upgraded, he shall be placed at the next higher Cell in that Level.

Illustration:

1.	Level in the revised pay structure: Level 10B	Pay Band	15600 – 39100		
2.	Basic Pay in the revised pay structure: 67000	Grade Pay	5400	6100	6600
3.	Granted promotion or upgraded to : Level 11	Levels	10	10B	11
		1	56100	61300	69400
		2	57800	63100	71500
4.	Pay after giving one increment in Level 10B : 69000	3	59500	65000	73600
		4	61300	67000	75800
		5	63100	69000	78100
5.	Pay in the upgraded Level i.e. Level 11 (either equal to or next higher to 69000 in Level 10B) : 69400	6	65000	71100	80400
		7	67000	73200	82800
		8	69000	75400	85300
		9	71100	77700	87900

(ii) In case of Officers receiving Non-Practicing Allowance, their basic pay plus Non Practicing Allowance shall not exceed the average of basic pay of the revised scale applicable to the Level 17 and 18 i.e., Rs. 237500/-

(iii) In case of promotion of an Officer from Level 13A to Level 14, increment for promotion shall be calculated on the pay in the Level 13A being drawn immediately prior to promotion and the sum of the pay in the level 13A plus the amount of increment for promotion plus Military Service Pay shall determine the pay in the Level 14 and the figure so arrived at will be located in the next higher Level 14, and if such an identical figure corresponds to any Cell in Level 14, the same shall be the pay in the revised pay structure and if the identical figure is not available in Level 14, the pay in the Pay Matrix shall be fixed at the immediate next higher Cell in Level 14 of the Pay Matrix.

Illustration:

1.	Level in the revised pay structure: Level 13A	Levels	13	13A	14
2.	Basic Pay in the revised pay structure: 171700	1	125700	139600	144200
3.	Promoted to Major General in : Level 14	2	129500	143800	148500
4.	Pay in Level 13A after promotion increment : 176900	3	133400	148100	153000
5.	MSP : 15500	4	137400	152500	157600
6.	Adding Sr. No. 4 and 5 : 192400	5	141500	157100	162300
7.	Pay fixed in level 14 : 193800	6	145700	161800	167200
		7	150100	166700	172200
		8	154600	171700	177400
		9	159200	176900	182700
		10	164000	182200	188200
		11	168900	187700	193800
		12	174000	193300	199600

13. Pay of officers commissioned with Ante Date for Pay on or after 1st day of January, 2016.- Pay of officers commissioned with ante date for Pay on or after 1st day of January, 2016 shall be fixed notionally from the date of ante date in the relevant revised Level or pre revised scale as applicable and the pay shall then be arrived at as on date of commission after adding increments at the applicable rates for the period of ante date.

14. Mode of payment of arrears of Pay.- (1) The arrears, computed after deduction of subscription at enhanced rate of Defence Services Officers Provident Fund with reference to the revised pay, shall be paid after deduction of ad-hoc arrears paid as per Government of India MoD letter No. 1(11)/2016/D (Pay/Services) dated the 10th October, 2016.

Explanation.- For the purpose of this rule, “arrears of pay” in relation to an Officer, means the difference between,-

- (i) the aggregate of the pay and dearness allowance, and Military Service Pay to which he is entitled on account of the revision of his pay under these rules for the period effective from the 1st day of January, 2016; and
- (ii) the aggregate of the pay and dearness allowance, and Military Service Pay to which he would have been entitled (whether such pay and dearness allowance had been received or not) for that period had his pay and dearness allowance not been so revised.

15. Overriding effect of rules.- The provisions of the Pay and Allowances Regulations (Officers), Army 1954 and existing instructions and regulations shall not save as otherwise provided under these rules, apply to cases where pay is regulated under these rules, to the extent they are inconsistent with these rules and these rules shall supersede SAI 2/S/2008 except as respects things done or omitted to be done before such supersession.

PART B**Level of Ranks of the Officers in the Army:**

S. No.	Rank	Pay Level in Pay Matrix
(i)	Lieutenant	10
(ii)	Captain	10B
(iii)	Major	11
(iv)	Lieutenant Colonel	12A
(v)	Colonel	13
(vi)	Brigadier	13A
(vii)	Major General	14
(viii)	Lieutenant General (HAG)	15
(ix)	Lieutenant General (HAG ⁺)	16
(x)	Vice Chief of Army Staff and Army Commanders	17
(xi)	Chief of Army Staff	18

FORM OF OPTION

[See rule 6(2)]

*1. Rank _____ Name _____ Service No. _____
 _____ Branch _____ hereby elect the revised pay structure with effect from 1st January, 2016.

*2. Rank _____ Name _____ Service No. _____
 _____ Branch _____ hereby elect to continue in Pay Band and Grade Pay of my substantive rank mentioned below until:

the date of my next increment/ the date of my subsequent increment raising my pay to Rs. _____/ I vacate or cease to draw pay in the existing pay structure/ The date of my promotion to _____ Existing Pay Band and Grade Pay / Existing Scale _____.

Signature _____

Name _____

Rank _____

Service No. _____

Unit _____

Date: _____

Station: _____

*To be scored out, if not applicable.

UNDERTAKING

I hereby undertake that any excess payment that may be found to have been made as a result of incorrect fixation of pay or any excess payment detected in the light of discrepancies noticed subsequently will be refunded by me to the Government either by adjustment against future payments due to me or otherwise.

Signature _____

Name _____

Rank _____

Service No. _____

Unit _____

Date: _____

Station: _____

[F. No. 1(8)/2016/ D (P/S)]

V. ANANDARAJAN, Jt. Secy.

Explanatory Memorandum.—The Seventh Central Pay Commission has been implemented with effect from the 1st day of January, 2016. Likewise, the Defence Personnel of the Union of India are eligible for Seventh Central Pay revision with effect from the 1st day of January, 2016. Accordingly, these Rules have been given retrospective effect with effect from the 1st day of January, 2016. It is hereby, certified that by giving retrospective to these rules no one will be adversely affected.